

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दलवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार  
अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी, प्रकरण संख्या 41 सन् 2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/२२5

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
03.06.2025	<p>प्रार्थी दलवीर सिंह पुत्र गल्लू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक क्लर्क एवं फर्द उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</b></p>	
२५/०६/२५	<p>रार सप का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक २/७/२५ को पेश कर <i>Karna</i></p>	
२७/०६/२५	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस खुली गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची के द्वारा प्रार्थना पत्र में अर्थ किया है कि प्र.सं. 106/1989, अबदाब दलवीर सिंह बनाम जेला सिंह के निर्णय दिनांक 08/05/24 व डिफ्री दिनांक 08/05/24 में वादीगण के पिता का नाम गिल्लू सिंह के स्थान पर गल्लू सिंह डुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते। लिहाजा हस्तगत प्रकरण का मूलवाद माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक: अपील/५१/२०२५/२६/०६/२५/५३१/१२/०६/२५ से तलब किए जाने पर न्यायालय हाणा के पत्रांक २९२ दिनांक १५/०६/२५ से भिजवाया गया है। इसलिए प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC स्वीकार किया जाना विधिसंगत नहीं है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से फर्द होकर वापिस पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक क्लर्क एवं फर्द उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</b></p>	

